50

कार्यालय, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, हाजीपुर वैशाली।

पत्रांकः– 1310 दिनांकः– 20.06.2024	मोबाईल नं0:–9473191926 दूरभाष सं0 :-06224 – 274055 ई–मेल:- co-hg-vaishali-bih@gov.in firestationhajipur101@gmail.com

प्रेषक :–

जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
वैशाली।

सेवा में,

प्रबंधक/स्वामी
Indian Public school
Hajipur Vaishali

प्रसंग :– बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली–2021 के अध्याय–**iv** के नियम–15, राष्ट्रीय भवन संहिता–2016 के प्रावधानानुसार, निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय का ज्ञापांक–3350 दिनांक–08.07.2022 ज्ञापांक–3747 दिनांक–15.07.2022 एवं अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, हाजीपुर का अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन का पत्रांक–761 एवं दिनांक–09.06.2024

विषयः– अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि अंकेक्षण (फायर ऑडिट) के उपरान्त उसका अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि आपके संस्थान में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली–2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के प्रावधानानुसार दिनांक–14.06.24 को अग्निशामालय पदाधिकारी–प्रभारी/गठित अंकेक्षण समिति (फायर ऑडिट कमिटी) द्वारा प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा के निर्धारित मानकों का अनुपालन हेतु अग्नि अंकेक्षण (फायर ऑडिट) किया गया है (अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न)।

अग्नि अंकेक्षण समिति द्वारा आगलगी की घटनाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण एवं **Exit Plan/ Evacuation Plan** आदि के संबंध में आपके प्रतिष्ठान में किये गये प्रबंध का प्रावधानानुरूप जॉच कर अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिये गए अनुपालन हेतु सुझाव एवं परामर्श को यथाशीघ्र अनुपालित करते हुए उसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन का समयक गुणवता जॉचोंपरान्त आपके संस्थान के हिताहित में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके।

निदेशानुरूप एवं प्रावधानानुरूप शुल्क राशि समर्पित नही किए जाने की स्थिति में अनुपालन प्रतिवेदन के साथ हीं निर्धारित शुल्क राशि का डी0 डी0 समर्पित करेंगे।

उच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन,
20/06/24
जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
वैशाली।

कार्यालय जिला अग्निशमन पदाधिकारी, हाजीपुर वैशाली।

पत्रांक– 1310 दिनांक– 20.06.2024

प्रतिलिपिः–

01. जिला पदाधिकारी, वैशाली को कृपया सादर सूचनार्थ समर्पित।
02. निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ समर्पित।
03. अग्निशामालय पदाधिकारी/प्रभारी हाजीपुर, महुआ एवं महनार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
04. विद्युत अभियंता, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

20/06/24
जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
वैशाली।

Sunil ... 20.06.2024 सत्येन्द्र प्रसाद

(485)

ज्ञापांक-781 फा० सं०-

कार्यालय अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, हाजीपुर वैशाली।

दिनांक-14.06.2024

प्राप्ति
1551
15/06/2024
जिला सम्प्रेक्षा सह जिला अग्निशाम पदाधिकारी
हाजीपुर वैशाली

प्रेषक,

अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी,
हाजीपुर, वैशाली।

सेवा में,

जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
वैशाली।

प्रसंगः— ~~अधीस~~ इस कार्यालय का ज्ञापांक-761 दिनांक-09.06.2024

विषयः— अग्नि अंकेक्षण के उपरान्त संबंधित संस्थान को दिए गये मंतव्य एवं सलाह का अनुपा
कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक सादर कहना है कि Indian public School, Hajipur Vaishali का अग्नि अंकेक्षण दिनांक-14.06.2024 को किया गया है (मूल प्रति संलग्न)। अग्नि में दिये गये मंतव्य, सलाह एवं परामर्श का अनुपालन करने हेतु संबंधित संस्थ प्रबंधक / स्वामी / नोडल पदाधिकरी को पत्र प्रेषित किया जा सकता है।

अतः अग्नि अंकेक्षण प्रपत्र "श" इस पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान् की सेवा में समर्पित।

अनु०:— यथोपरि।

विश्वासभाजन

सत्येन्द्र प्रसाद
14.06-24

सहायक
जिला अग्निशमन पदाधिकारी
वैशाली (हाजीपुर)

प्रपत्र— ख।

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण के बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कारवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 की धारा–33 एवं 43(2)(3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियम 2021 के नियम 22(ड)(ग)(घ)(ङ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन– Indian publice School Hajipur Vaisali
2. भवन का निर्माण वर्ष– 2005 ई०
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष)– नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि– नहीं
5. भवन अधिभोग का प्रकार– B
6. उप वर्ग (Sub-occupancy) के प्रकार– स्कुल शैक्षणिक संस्थान
7. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर में)– 06 मी०
8. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई– 03 मी०
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी– मीटर में)– 10 मी०
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)– ब्लॉक-01-597x2 = 1194 total=1444 वर्ग मी
(तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का) ब्लॉक 02-125x2 = 250
11. मंजिलों की संख्या– G+1
12. तलघर की संख्या– नहीं
13. स्टिल्ट/पोडियम की संख्या– नहीं
14. ब्लॉक की संख्या– 02
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार– 500 छात्र/छात्राए
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या)– 300
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई)– गाँधी सेतु रोड़ N.H. 22
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्युनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए) 30 फिट

18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है?– हाँ
19. क्या मृत अंत(Dead end) में समाप्त हो रहा है?– नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई– पु० – N.H 10 फिट खोली
प०– 05 फिट, उ०, N.H+पम्प द०, 08 फिट
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घुमने के लिए वाहन का पहुँच– नहीं
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार की न्युनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई?– हाँ
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या)– 10
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी)– पु० – 10 फिट, प० – 05 फिट, उ० N.H पेट्रोल पम्प, द० – 08 फिट
25. प्रवेश द्वार की संख्या– 03
26. निकास द्वार की संख्या– 03
27. प्रवेश/निकास द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान– हाँ
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीडस की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की ऊँचाई)– 02
1.5 मी० 40" 36"

विक्की कुमार पासवान

सुनील कुमार

सत्येन्द्र प्रसाद

29. बाहरी सीढ़ी (संख्या/ट्रीडस की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड्र रेल की उँचाई):– नही
1.5 mtr 10" 06"

30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दुरी):– 06 mtr

31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टेप):– नही

32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:– नही

33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:– नही

34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:– नही

35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):– नही

36. फायर टावर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):– नही

37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान:– नही

38. कोरिडोर और मार्ग(वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता वाधित नही):– रास्ता वाधित नही है

39. क्षैतिज निकास की स्थिति:– नही

40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:– लगाना आवश्यक है।

41. तलघर में छत की दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि:– नही

42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:– नही

43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन:– नही

44. धुआँ निकासी व्यवस्था:– लगाना है।

45. विद्युत अधिष्ठापन:– हां

46. सब–स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर:– नही

47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्त्रोत:– जनरेटर - 25 KV

48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:– नही

49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान:– लगाना है

50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग–4 का तालिका–7 के अनुसार):– नही

51. स्वाचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिडेक्टर, बीम डिडेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):– नही

52. स्वाचालित स्प्रिंक्लर सिस्टम:– नही

53. नली रील:– नही

54. वेट राईजर:– नही

55. सूखी राईजर:– नही

56. डाउन कमर सिस्टम:– नही

57. यार्ड हाईड्रेंट:– नही

58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता लीटर में):– नही

59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता लीटर में):– 5,000 X 3 = 15,000 ली0

60. पम्पों की विवरणी–इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पंप (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):– समरसेबुल = 02 HP, Jet पम्प - 01

61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की सं0/क्षमता/गुणवता/मैक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं0/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):– बालूवाली · 4 ABC TYPE [illegible]
CO2 TYPE [illegible]
[illegible]

विक्की कुमार पासवान [illegible signature]

अग्निशामक सत्येन्द्र प्रसाद

(48)

62. अग्नि नियंत्रण कक्षः– नहीं

63. फायर ड्रील और फायर ऑडर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):– हाँ

64. अग्नि सुरक्षा अधिकारीः– नहीं

65. अन्य बिन्दू–प्रपत्र–ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

जाँच पदाधिकारी का मंतव्यः–

आज दिनांक 14.06.2024 को सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रसाद अ० विक्की कुमार पासवान अ० कुनोल कुमार अ० चा० प्रभात कुमार के द्वारा इस संस्थान के स्वामी श्री प्रिन्सपल उमाशंकर के समक्ष अग्नि अंकेक्षण किया गया अग्नि अंकेक्षण के दौरान देखा गया की G+1 पर संचालित है इस संस्थान में ABC Type 6 kg 08 P. एवं CO2 TYPE 02 एवं Foam Type 01 P, बाल्टी बाल्टी 04 सेट अक्रियाशील अवस्था में पाया गया मो०– 7903799119

Email Id – L.P.S hajipur. Vaishali @gmail.com है

निम्न प्रकार सलाह दीया जाता है।

(i) हौज रील लगाने की आवश्यकता है।

(2) CO2 Type extinguser बढ़ाने की आवश्यकता है

(3) EXIT का साईन लगाना आवश्यक है

4. आसमानी बिजली से संरक्षण लगाना आवश्यक है

विश्वास भाजन
सत्येन्द्र प्रसाद
14-06-24
सहायक
जिला अग्निशमन पदाधिकारी
वैशाली (हाजीपुर)

कुनोल कुमार
14.06.24

विक्की कुमार पासवान
14/06/024